निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

*हवामहल (049) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य / संघ राज्य क्षेत्र) की विधान सभा के लिए निर्वाचन निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

डा. महेश जोशी(नाम) बी–20, सैन कॉलोनी, रेल्वे स्टेशन के पास, जयपुर (पता) ¹[जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त रिजस्ट्रीकृत पार्टी का नाम) द्वारा खडे किए गए है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए/गई है।

स्थान जयपुर तारीख 11.12.2018

(प्रियव्रत सिंह चारण) रिटर्निग अधिकारी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हवामहल (049)

Conduct of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21C

(See rule 64)

(For use in Genral Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the people Act, 1951. *Election to the Legislative Assembly of **RAJASTHAN** (state/Unionterritory) from **HAWAMAHAL (049)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the people Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1951, I declare that-DR. MAHESH JOSHI (Name) B-20, SAIN COLONY, NEAR RAILWAY STATION, JAIPUR (Address) ¹[sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognised/registered political party)] has been duly elected to fill the seat in that House from above constituency.

Place: JAIPUR Date: 11.12.2018

Returning Officer
Assembly constituency hawamahal (049)